न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :— यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :— राजस्व वाद संख्या 100/2016

1. मोहित पुत्र रामजस जाति जाट निवासी साहुवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

— — वादी

—:: बनाम ::—

1. रामजस पुत्र श्री चन्दुलाल जाति जाट निवासी साहुवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. प्रियंका पुत्री रामजस जाति जाट निवासी साहुवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

— — **प्रतिवादीगण**

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा व खाता तकसीम

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री मोहन लाल माहर अधिवक्ता वादी
2. प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 स्वयं उपस्थित

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 08.04.2017

वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 आर. टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी के दादा चन्दुलाल के नाम से चक 4 एफ छोटी के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 6 ता 14 की 2.277 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 15 व 16 में 0.379 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 30 में किला नम्बर 1, 10, 11 में 0.607 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 51 में किला नम्बर 2/2 किला नम्बर 9, 12, 19, 22 में 1.240 हैक्टर कुल 4.503 हैक्टर रकबा खातेदारी माल था

उक्त आराजी पैतृक सम्पत्ति होनें के कारण प्रतिविदी संख्या 1 द्वारा उक्त आराजी का मौखिक बंटवारा किया हुआ है। उस मौखिक बंटवारें के अनुसार वादी को वाके चक 4 एफ छोटी के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 6 ता 14 में 2.277 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 30 के 1, 10, 11 में 0.607 हैक्क्टर मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 2/2 किला नम्बर 9, 12, 19, 22 में 1.240 हैक्टर रकबा आया हुआ है, और प्रतिवादी संख्या 1 के पास मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 15/2 व किला नम्बर 16 व अन्य रकबा आया हुआ है। इस प्रकार उक्त मौखिक बंटवारा वादी काबिज काश्त है। और खातेदारी घोषणा करवानें का अधिकारी है।

चूंकि उक्त रकबा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज कागजात माल है। वादी नें प्रतिवादी संख्या 1 को कहा कि मौखिक बंटवारा नामा के अनुसार विवादित आराजी को वादी के पक्ष में नाम करवा दो लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 स्पष्ट इन्कार हो गया यदि वाद कारण हासिल है।

प्रतिविदी संख्या 2 द्वारा अपनें हिस्से का परित्याग वादी के पक्ष में किया हुआ है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से रिकार्ड में अमल दरामद होनें के कारण प्रतिवादी संख्या 2 को औपचारिक पक्षकार बनाया गया है।

अतः वाद पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है, कि वाद वादी निम्न आधारों पर डिक्री फरमाया जावे :—

लगातार 2

1. वादी को मौखिक बंटवारा वाके चक 4 एफ छोटी के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 6 ता 14 में 2.277 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 1, 10, 11 में 0.607 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 2/2 में किला नम्बर 9, 12, 19, 22 रकबा आया हुआ है, का खातेदार घोषित किया जाकर खाता तकसीम किया जावे।
2. वाद खर्चा भी दिलाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 दिनांक 17.06.2016 को स्वयं उपस्थित होकर जबाब दावा पेश कर कथन किया कि दावा डिक्री फरमाया जावे तो प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है।

राज पैरोकार द्वारा राज्य सरकार की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि भूमि का विवाद आपसी पक्षकारान के मध्य है। राज्य सरकार से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। राज्य हितो को मध्यनजर रखते हुए निर्णय पारित करनें बाबत निवेदन किया गया।

चुँकि प्रकरण में वादीगण एवम् प्रतिवादी के मध्य कोई प्रतिवाद नहीं होनें के कारण तनकियात नहीं बनाई गई, वादी द्वारा साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जिसके अर्न्तगत वाद पत्र के बिन्दूओं को ही दोहराया गया।

वादी के सुयोग्य अधिवक्ता की बहस सुनी गई दौरानें बहस वाद पत्र में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

हमने बहस पर मनन किया पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि चक 4 एफ छोटी के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 6 ता 14 की 2.277 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 15 व 16 में 0.379 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 30 में किला नम्बर 1, 10, 11 में 0.607 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 51 में किला नम्बर 2/2 किला नम्बर 9, 12, 19, 22 में 1.240 हैक्टर कुल 4.503 हैक्टर रकबा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खातेदारी दर्ज रिकार्ड है, जो प्रतिवादी संख्या एक को विरास्तन प्राप्त है। जिसमें वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 2 का विरास्तन हिस्सा बनता है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपना विरास्तन प्राप्त होनें वाला हिस्सा वादी के पक्ष में तर्क किये जानें के कारण तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वाद वादी स्वीकार किये जाने के कारण वाद का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है

–:: आदेश ::–

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत चक 4 एफ छोटी के खाता संख्या 20/19 में वादी मोहित को 4.124 हैक्टर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत भूमि का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है :–

1. मोहित पुत्र रामजस जाति जाट निवासी साहुवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
4 एफ.छोटी	20/19	3	6 ता 14	2.277
		30	1, 10, 11	0.607
		51	2/2, 9, 12, 19, 22	1.240
			कुल भूमि :– 4.124 हैक्टर	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

लगातार 3

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.04.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर